कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कैमिको सिन्थेटिक लि0, ए-14 / 2 साइट-4 इण्डस्ट्रीयल एरिया, सहिबाबाद गाजियाबाद।**
टिन सं0	**09788802450 दिनांक 27-12-2005**
जी0एस0टी0एन सं0	**09AACCC9078M1ZZ**
प्रार्थना-पत्र सं0	**002/ 18,**
दिनांक	**05.03.2018**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नीरज जैन, फर्म डाइरेक्टर एवं श्री जी0सी0 अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री कैमिको सिन्थेटिक लि0, ए-14 / 2 साइट-4 इण्डस्ट्रीयल एरिया, सहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22-02-18 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। प्रश्नगत धारा-59 के प्रार्थना पत्र के मामले में आवेदनकर्ता द्वारा निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं :-

धारा-59 के प्रार्थना पत्र में बिन्दु-1 में यह उल्लेख किया गया है कि विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-247/ ग्यारह-9(341)/09-उ0प्र0अधि0-5-08-आदेश-(58)-2018 दिनांक 24-02-2010 प्रभावी 01-04-2010 द्वारा निर्माता निर्यातक द्वारा नेचुरल गैस की खरीद करने के उपरान्त निर्माण करते हुए निर्मित माल को भारत के बाहर निर्यात करने के स्थिति में बिना वैट चुकाए नेचुरल गैस की खरीद हेतु अधिकृत हैं तथा नेचुरल गैस की खरीद पर कर का भुगतान न करने के सम्बन्ध में फार्म ई के प्राविधान के सम्बन्ध में परिपत्र सं0- विधि/वैट-4(1)-विज्ञप्ति भाग-2(09-10)/2182/0910103 दिनांक 25-03-2010 का भी उल्लेख किया गया है।

द्वितीय बिन्दु में यह उल्लेख है कि पूर्व में लिखित शासनादेश एवं परिपत्र एवं फार्म-ई वर्तमान में प्रभावी है, जिसे उ0प्र0 सरकार एवं कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वापस नही लिया गया है। यह भी उल्लेख है कि आवेदनकर्ता द्वारा Antimony Metal, Antimony Trioxide इत्यादि का निर्माण किया जाता है तथा यह 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई है एवं नेचुरल गैस (नॉन जी0एस0टी) की बिना वैट के भुगतान के खरीद हेतु अधिकृत है तथा फर्म को फार्म-ई जारी करने की सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक 26-10-2018 को व्यापारी द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें पुराने प्रार्थना पत्रों के विवरणों का संक्षिप्त रुप से उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि पूर्व में व्यापारी को 12 फार्म-ई को ओ0सी0 टिकट के साथ डि0कमि0, खण्ड-15, गाजियाबाद द्वारा नेचुरल गैस की खरीद के लिए जारी किया गया है। उसके बाद दिनांक 12-06-2018 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह उल्लिखित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा जो 12 फार्म-ई जारी किये गये वह वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित हैं, जो दिनांक 30-06-2017 तक के लिए वैध है उक्त फार्म 01-07-2017 के पश्चात की बिक्री हेतु वैध नही है।

वैट अधिनियम की धारा-59 में यह प्राविधान है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तभी धारा-59 के प्राविधान लागू होते है।

अत: प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उपस्थित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में फार्म-ई प्राप्त करने के सम्बन्ध में धारा-59 की परिधि में नही आता है । अत: प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 26.10.2018

ह0/ 26.10.2018

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।